भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3758**

(वाणिज्य विभाग)

दिनाक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जिला निर्यात केंद्र योजना

3758. श्री अरुण भारती:

श्री राजेश वर्मा:

श्रीमती शांभवी:

डॉ. लता वानखेड़े:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान निर्यात केन्द्र योजना के अंतर्गत चुने गए जिलों के चयन और संचालन की स्थिति क्या है;

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान बिहार और मध्य प्रदेश के चुने हुए जिलों में अवसंरचनात्मक अंतर को समाप्त करने के लिए जिला निर्यात संवर्धन समितियों द्वारा तैयार की गई विशिष्ट कार्य-योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार और मध्य प्रदेश के इन निर्यातोन्मुख जिलों में सामान्य सुविधा केन्द्रों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और शीतागार शृंखलाओं के सृजन के लिए कुल कितनी केन्द्रीय निधि जारी की गई है;

(घ) क्या मंत्रालय ने बिहार और मध्य प्रदेश के दूर-दराज के जिलों से परिचालन कर रहे लघु निर्यातकों के लिए प्रत्यक्ष संस्थागत ऋण और व्यापार वित्त की कमी को नोट किया है; और

(ङ) बिहार और मध्य प्रदेश स्थित निर्यातकों के लिए संभार तंत्र और संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राज्य प्राधिकरणों के समन्वय से क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ख) वाणिज्य विभाग की निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) पहल, जो विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के माध्यम से लागू की गई है, का उद्देश्य देश की निर्यात वृद्धि में प्रत्येक जिले को एक सक्रिय हितधारक बनाकर निर्यात संवर्धन को विकेंद्रीकृत करना है।

डीईएच पहल एक अखिल भारतीय पहल है जहां देश भर के सभी जिलों को निर्यात भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लक्षित किया गया है।

इस पहल के तहत बिहार और मध्य प्रदेश के जिलों सहित सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को चिह्नित किया गया है।

बिहार के 38 जिलों और मध्य प्रदेश के 55 में से 52 जिलों के लिए जिला स्तर के हितधारकों के परामर्श से मसौदा जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईएपी) तैयार की गई हैं तथा उन्हें अपनाया गया है और बदलती वैश्विक माँग और ज़िले-विशेष की उत्पादन क्षमताओं के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए संबंधित 'ज़िला निर्यात संवर्धन समितियों' (डीईएपी) द्वारा समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

निर्यात केन्द्र के रूप में जिले पहल एक सहयोगात्मक और सुविधात्मक रूपरेखा है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर चिह्नित की गई निर्यात बाधाओं को दूर करना है। इस रूपरेखा के भीतर, डीईपीसी डीईएपी तैयार करती हैं, जो जिले की उत्पादन और क्लस्टर सक्षमता का आकलन करती हैं, एकत्रीकरण, गुणवत्ता और प्रमाणन, परीक्षण, पैकेजिंग, भंड़ारण, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और खरीदार संपर्कों से संबंधित कमियों की पहचान करती हैं, और संबंधित कार्य बिंदुओं और कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्धारित करती हैं। डीईएपी का प्राथमिक फोकस निर्यात से संबंधित बाधाओं पर है जैसे कि निर्यातक क्षमता विकास, कौशल उन्नयन, सूचना असमानता को दूर करना, बाजार की जानकारी प्रदान करना और बुनियादी ढांचे के विकास को सीधे तौर पर लक्षित करने के अलावा अन्य मुद्दे।

(ग) से (ङ) निर्यात केन्द्र के रूप में जिले पहल मौजूदा स्कीमों के अभिसरण के माध्यम से संचालित होती है। डीईएच रूपरेखा, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और जिला स्तर के हितधारकों को डीईपीसी के माध्यम से एक साझा मंच पर लाने और इसके तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता और उनके बीच अभिसरण को बढ़ावा देने सहित केंद्र और राज्य सरकारों की चल रही स्कीमों का लाभ उठाने हेतु एक सुविधाजनक दृष्टिकोण है।

बिहार और मध्य प्रदेश में स्थित छोटे और पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों सहित व्यापार वित्त और निर्यात ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, सरकार डीईएच के परिणामोन्मुख कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस कार्यान्वयन के माध्यम से, ईसीजीसी, एक्जिम बैंक, सिडबी, एनसीजीटीसी और नाबार्ड सहित वित्तीय संस्थान और एजेंसियां, इंडिया पोस्ट के साथ, जमीनी स्तर पर निर्यात वित्त तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए ऑनबोर्ड की गई हैं, और इसके अलावा जिला स्तर पर अग्रणी बैंकों के नोडल अधिकारियों को निर्यात ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य पर लगाया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 12 नवंबर, 2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) का शुभारंभ किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए

कुल 25,060 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले निर्यातकों, श्रम गहन क्षेत्रों और आंतरिक और कम निर्यात वाले क्षेत्रों के निर्यातकों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया गया है। यह मिशन दो एकीकृत उप-स्कीमों के माध्यम से संचालित होता है - निर्यात प्रोत्साहन, ब्याज सहायता, निर्यात ऋण के लिए आनुषंगिक सहायता, निर्यात फैक्टरिंग, ई-कामर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी और वैकल्पिक व्यापार साधनों के लिए सहायता जैसे कारकों के माध्यम से किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है; और निर्यात दिशा, निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग और पैकेजिंग, बाजार पहुंच, निर्यात लॉजिस्टिक्स और भंड़ारण तथा व्यापार आसूचना जैसे अन्य व्यापार कारकों पर केंद्रित है। निर्यात दिशा, उप-स्कीम अंतर्देशीय निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली संरचनात्मक लॉजिस्टिक्स बाधाओं का समाधान करती है। माल और परिवहन स्कीम के लिए लॉजिस्टिक्स मद्यस्थता, दूरस्थ और भीतरी इलाकों को प्रभावित करने वाली अंतर्देशीय कनेक्टिविटी की अक्षमताओं की पूर्ति करने के लिए सहायता प्रदान करती है, जिससे स्थान संबंधी नुकसान से उत्पन्न माल और लॉजिस्टिक्स लागत कम हो जाती है, जबकि सुविधा लॉजिस्टिक्स, विदेशी भंड़ारण और पूर्ति स्कीम, विदेशी बाजारों में वितरण दक्षता में सुधार करने के लिए विदेशी लॉजिस्टिक्स, भंड़ारण और पूर्ति व्यवस्था बनाने में सहायता प्रदान करती है।
